बाघ द्वारा पशुहानि किये जाने पर अपनाई जाने वाली विधि हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

बाघ द्वारा पालतु पशुओं का गारा किये जाने के पश्चात की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

1. **शीर्षकः** बाघ द्वारा पालतु पशुओं का गारा किये जाने के पश्चात की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)
2. **विषयः** बाघ द्वारा पालतु पशुओं का गारा किये जाने के पश्चात उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने बाबत्।
3. **सन्दर्भः** मानव आबादी वाले क्षेत्रों मे भटक कर आये बाघों के आने से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया।
4. **प्रयोजनः** बाघ आवास में बाघ द्वारा पालतु पशुओं का गारा किये जाने पर बाघ द्वारा गारा का भक्षण निर्विध्नता से करने हेतु अनुकूल परिस्थिति सुनिश्चित करना तथा रहवास क्षेत्र में हो सकने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक व्यवधान को दूर करना ताकि मैदानी कर्मचारियों एवं जन सामान्य के साथ-साथ बाघ की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।
5. **संक्षिप्त सारांशः** इस मानक परिचालन प्रक्रिया में बाघ द्वारा पशुओं का गारा किये जाने की परिस्थिति में मैदानी स्तर पर मूलभूत कार्यवाही एवं आवश्यक सावधानियाँ बरतने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं।
6. **कार्यक्षेत्र विस्तार (Scope):** मानक परिचालन प्रक्रिया सभी टाइगर रिजर्व एवं अन्य क्षेत्र जहा बाघ की उपस्थिति है, पर लागू होंगी।
7. **जवाबदेहीः** टाइगर रिजर्व क्षेत्रों हेतु फील्ड डायरेक्ट जिम्मेदार होंगे। संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य) हेतु सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र (राजस्व भूमि/कंज़र्वेशन रिजर्व/कम्यूनिटी रिजर्व/ग्राम/शहर) आबादी क्षेत्र में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणी अभिरक्षक या वन मण्डल अधिकारी/उप वन संरक्षक (जिनके कार्य क्षेत्र मे उक्त स्थल पड़ता है) जिम्मेदार होंगे। राज्य स्तर की समग्र जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य के मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक की होगी।

8. बाघ के द्वारा पालतु पशुओं का गारा किये जाने के कारण तथा परिस्थितियाँ

A) ग्रामीणों द्वारा अपने पालतु पशुओं को वन क्षेत्र में चरने हेतु खुला छोड़ दिया जाना।

B) लोग जब वन भूमि पर अतिक्रमण कर वन क्षेत्र पर काबिज होते हैं तो उनके पालतु पशु मांसाहारी वन्यप्राणियों के भक्षण हेतु आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

C) बाघ स्त्रोत क्षेत्र (Tiger Source Area) में वहन क्षमता (Carrying Capacity) परिपूर्ण हो जाने पर मानव आबादी क्षेत्र में आ जाते है तथा पशुओं को आहार बनाने के लिये विवश होते है।

D) वयस्क/शक्तिशाली बाघों द्वारा किशोर/युवा बाघों एवं बूढे एवं कमजोर बाघों को ईष्टतम आवास की परिधि के बाहर की ओर पलायन करने हेतु विवश किया जाना

E) मवेशियों के शिकार के अभ्यस्त बाघ जो कि Principles of Optimal Foraging के सिद्धांत के अनुसार "आसानी से उपलब्ध होने वाले भोजन" के आदी हो गये हैं।

F) यदि गलियारा (Corridor) का जुड़ाव अस्तित्व में है तब बाघ विचरण कर दूसरे रहवास क्षेत्र में अपनी टेरिटोरी बनाता है एवं Meta population में ही बना रहता है।

9. बाघों द्वारा पालतु पशुओं का गारा किये जाने पर मैदानी कार्यवाही हेतु सुझाव :

A) समस्त मारे गये मवेशियों की सूचना तुरन्त सम्बंधित वन प्रबन्धन इकाई को दी जावेगी। ऐसी जानकारी सतत् मिलती रहे, इस हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक करने हेतु लगातार कार्यक्रम चलाया जायेगा। संबंधित वन प्रबंधन इकाई मृत पालतु पशुओं की जानकारी/सूचना के एकत्रीकरण हेतु गुप्तचरों से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना तंत्र या मुखबिर तंत्र विकसित करेगा। बाघ की उपस्थिति वाले क्षेत्र जिन-जिन वन प्रबंधन इकाईयों में हो, उनमें पदस्थ अमले को भी जागरूक करने हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि वे सक्रिय होकर मृत पालतु पशुओं की जानकारी की सूचना तुरन्त दें। एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जायेगी जिसमें

ग्रामवासियों/मुखबिर/चरवाहों को सूचना देने हेतु कुछ प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था हो।

B) मृत पालतु पशुओं की निगरानी/निरिक्षण हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

i. सम्बंधित ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि

ii. स्थानीय अशासकीय संस्था का प्रतिनिधि जो कि फील्ड डायरेक्टर/उप वन संरक्षक (जिनके क्षेत्राधिकार में क्षेत्र आता है) द्वारा नामांकित किया जावेगा।

iii. एक पशु चिकित्सक

iv. उप संचालक/संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वन मण्डल अधिकारी इंचार्ज अध्यक्ष, जिला प्रशासन एवं/या निकट के टाइगर रिजर्व के साथ समन्वय कर अशासकीय सदस्यों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन प्रणाली विकसित किया जाना होगा।

C) बाघ या तेन्दुए द्वारा मवेशियों को मारने की स्थिति में मृत पशु को घटना स्थल से नहीं हटाना चाहिये तथा उसे पूर्ण रूप से खाने का अवसर देना चाहिए ताकि बाघ बार-बार मवेशियों को न मारे।

D) प्रभावित व्यक्ति या घटना स्तर पर क्षतिपूर्ति के तुरन्त भुगतान हेतु सिटीजन चार्टर के अनुसार जिला प्रशासन या निकटतम टाइगर रिजर्व के समन्वय से एक व्यवस्था विकसित किया जाना होगा।

E) मृत मवेशी की निगरानी/चौकीदारी के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की जाना चाहिये जिसमें कि वह बाघ/तेन्दुए के द्वारा मृत मवेशी खाने के दौरान व्यवधान न हो, साथ ही गारे में द्वेषवश विष मिलाने की घटना न हो पाये। इस प्रयोजन हेतु एक विशेष दल बनाया जाना चाहिये तथा दल बनाने हेतु उपरोक्त समिति से परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिये। निगरानी दल के लिये भी आवश्यक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाना चाहिये।

F) बाघ द्वारा मारे गये पशुओं की सूचना प्राप्त होने से प्रथम 24 घण्टे के दौरान निगरानी/अवलोकन इसलिये आवश्यक है ताकि बाघ, वापस लौटकर

मारे गये मवेशी को पूर्ण रूप से खा सके। यदि बाघ वापिस नही आता है या शिकार को अस्वीकार कर देता है तो मृत मवेशी को जलाकर पूर्णतः नष्ट कर देना आवश्यक है जिससे मानव या अन्य प्राणियों पर संक्रमण होने या बीमारियों के फैलने का खतरा न रहे। मृत मवेशी वाले क्षेत्र को भी रसायन/अग्नि ज्वाला से विषाणु रहित किया जाना चाहिये, ताकि वे बीमारिया भी समाप्त हो जावे जो विषाणु द्वारा फैलती है।

G) वन्यप्राणी (बाघ/तेन्दुआ) की पहचान (ID) सुनिश्चित करने हेतु घटना स्थल पर मृत पशु के समीप कैमरा ट्रेप लगाना चाहिये।

H) बाघों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु नेशनल रिपोजीटरी आफ कैमरा ट्रेप फोटोग्राफ्स आफ टाइगर (NRCTPT स्थान जहां पर कैमरा ट्रेप के माध्यम से टाइगर की पहचान की जाती है) या टाइगर रिजर्व स्तर पर उपलब्ध डाटाबेस में उपलब्ध फोटाग्राफ्ससे मिलान करना चाहिये एवं इसके माध्यम से बाघ का मूल स्त्रोत क्षेत्र भी ज्ञात करना चाहिये।

I) क्षेत्र में हाल में हुए पशुओं के गारा किये जाने की घटनाओं/खाने की घटना/लोगों के घायल होने की घटना/ मृत्यु की घटना की जानकारी प्राप्त करना चाहिये। यदि क्षेत्र में इस तरह की घटना पूर्व में हुई या क्षेत्र में प्रवृत्त हुई है तो विस्तृत शोध करना आवश्यक है जिससे घटनाएं लगातार क्यों हो रही है यह ज्ञात हो सके।

J) क्षेत्र में प्रेशर इम्प्रेशन पेड बनाये जाना चाहिये ताकि वन्य प्राणी की दैनिक भ्रमण की जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी को 4^{11}= 1 मील या 1:50,000 स्केल के नक्शे पर इन्द्राज भी करना चाहिये।

K) यदि बाघःमानव द्वन्द का क्षेत्र मानव आबादियों के आस-पास स्थित हो तब कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा भीड़ इक्कठा होने से रोकने के लिये प्रारंभ से ही जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिक्षक को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिये तथा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बाघःमानव द्वन्द की स्थिति से अवगत कराना चाहिये तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाना चाहिये ताकि वे प्रभावी उपाय कर स्थिति से निपट सकें। यदि

परिस्थितियों की मांग हो तब जिला प्रशासन को सी.आर.पी.सी. की धारा 144 को लगाकर व्यवस्था को सुनिशित करना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि स्थानीय निवासियों को या उत्तेजित स्थानीय लोगों को ऐसे स्थल पर भीड एकत्रित करने से रोकना आवश्यक है, अन्यथा भीड़ वन्यप्राणी के निकलने के रास्ते बन्द कर देगी या वन्यप्राणी को सुगम रूप से पकडने में (यदि पकड़ना आवश्यक हुआ तो) बाधक होगी, जिससे वन्यप्राणी उत्तेजित होकर भीड पर या कर्मचारियों को घायल कर सकता है।

L) जिला प्रशासन की सहायता लेकर ऐसे क्षेत्रों में बाघ की उपस्थिति की सूचना करवाकर आसपास के ग्रामीण को सर्तक/सचेत किया जाना चाहिये। स्थानीय क्षेत्रों में बाघ की उपस्थिति को मुनादी या जो भी प्रचलित साधन हो से सूचित करना चाहिये कि सामान्य जन इन क्षेत्रों में प्रवेश ना करें।

M) यदि बाघ/तेन्दुओं द्वारा किसी प्रकार की विकलांगता या निशक्तता या असामान्यता जो किसी चोट के कारण या अधिक उम्र होने के कारण से हो लगातार पशुओं का शिकार करता है तब मानक परिचालक प्रक्रिया के तहत वन्यप्राणी को प्राधिकरण के निम्न निर्देशों के तहत निपटाना चाहियेः

i. वनों से भटके हुए बाघों के मानव आबादी क्षेत्रों में आने पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने हेतु परिचालन प्रक्रिया।

ii. अनाथ/मां द्वारा छोडे गये बाघ के बच्चे/वृद्ध बाघ/वनों में घायल बाघ के प्रबंधन से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रिया।

भू–दृश्य (**Landscape**) स्तर पर संरक्षित क्षेत्रों (स्त्रोत क्षेत्र) से बाहर निकले बाघों के सक्रिय प्रबंधन (**Active Management**) हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

भू–दृश्य (Landscape) स्तर पर संरक्षित क्षेत्रों (स्त्रोत क्षेत्र) से बाहर निकले बाघों के सक्रिय प्रबंधन (Active Management) हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

1. **शीर्षक** :– भू–दृश्य (Landscape) स्तर पर आधार क्षेत्र से बाघ पुनर्स्थापना के सक्रिय प्रबंधन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

2. **विषय** :– भू–दृश्य (Landscape) स्तर पर संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकले बाघों के पुनर्स्थापना हेतु सक्रिय प्रबंधन।

3. **संदर्भ** :– एन.टी.सी.ए./प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा मानव आबादी वाले भू–दृश्यों (human dominated landscapes) में विचरण कर रहे बाघों के संबंध में दी गई सलाह एवं संबंधित पत्राचार।

4. **प्रयोजन** :– बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाघ मूल क्षेत्र को छोड़कर विभिन्न वन क्षेत्रों में नई टेरीटरी बनाने हेतु विचरण/पलायन करते हैं और मानव आबादी क्षेत्र में पहुंचते हैं, जिससे मानव–बाघ द्वंद की स्थिति निर्मित होती है। तुरन्त, प्रभावी, समयानुकूल तथा उपयुक्त उपाय से ही उक्त द्वंद को कम किया जा सकता है एवं बाघों का संरक्षण किया जा सकता है। ऐसे में उन बाघों को पकड़ने (capture) की आवश्यकता होती है जो मानवःबाघ द्वंद की स्थिति उत्पन्न कर रहे होते हैं या मानव आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं। उक्त बाघ यदि आदमखोर नहीं है तो ऐसे बाघों को वापिस उनके आवास में छोड़े जाने की संभावना होती है। बाघों को पकड़ना एवं उन्हें वापिस उनके मूल स्त्रोत क्षेत्र में छोड़ना ही हर समय समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि स्त्रोत क्षेत्र में बाघों के अधिक घनत्व के कारण ही बाघ बाहर की ओर विचरण करते हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में ऐसे बाघों को अधिक घनत्व क्षेत्र से कम घनत्व क्षेत्रों (या जहां बाघ पूर्व में थे परन्तु वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं) में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये, ऐसे स्थानों पर जहां अच्छा रहवास स्थल तथा आहार उपलब्ध हो। पुनर्स्थापना में यह सतर्कता आवश्यक है कि उक्त पुनर्स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जाये जो कि एक ही आबादी समूल गुच्छ (Population Cluster) में जो कि एक समान वंशावली (common gene pool) के हों। वर्तमान वंशावली ज्ञान (Genetic knowledge) तथा विद्यमान गलियारों (corridor) के आधार पर ऐसी बाघ आबादी गुच्छ (population cluster) की पहचान प्रत्येक भू–दृश्य (Landscape) स्तर पर करनी होगी जहां से अधिशेष (surplus) बाघ आबादी का उपयुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापन किया जा सके।

5. **<u>संक्षिप्त सारांश</u>** :– स्त्रोत क्षेत्रों से बाघों की पुनर्स्थापना हेतु सारगर्भित सक्रिय प्रबंधन करने हेतु भू–दृश्य (Landscape) स्तर पर मौलिक मापदण्डों को इस मानक परिचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है।

6. **कार्यक्षेत्र** :– मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) समस्त बाघ भू–दृश्य (Tiger Landscape)/टाइगर रिजर्व तथा बाघों की उपस्थित वाले वन क्षेत्रों में लागू होगा।

7. **उत्तरदायित्व** :– मानक परिचालन प्रक्रिया लागू करने का उत्तरदायित्व टाइगर रिजर्व क्षेत्रों हेतु क्षेत्र संचालक का होगा तथा संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य) हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी का होगा। अन्य क्षेत्र जैसे राजस्व क्षेत्र/कंजर्वेशन रिजर्व/कम्युनिटी रिजर्व/ग्राम/आबादी/शहरी क्षेत्र में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार उस क्षेत्र के वन्यप्राणी अभिरक्षक या वनमंडलाधिकारी/उप वन संरक्षक (जिनके क्षेत्राधिकार में क्षेत्र हो) का उत्तरदायित्व होगा कि मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का पूर्ण रूप से पालन हो। पूर्ण प्रदेश हेतु समग्र उत्तरदायित्व संबंधित राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का होगा।

9. **प्रस्तावित कार्यवाही** :– मूल क्षेत्र से बाघ के विस्थापन हेतु सक्रिय प्रबंधन किये जाने के लिये विभिन्न भू–दृश्यों (Landscape) में मैदानी गतिविधियां :–

1. **<u>शिवालिक हिल्स एवं गंगेटिक प्लेन भू–दृश्यों (Landscape)–</u>**

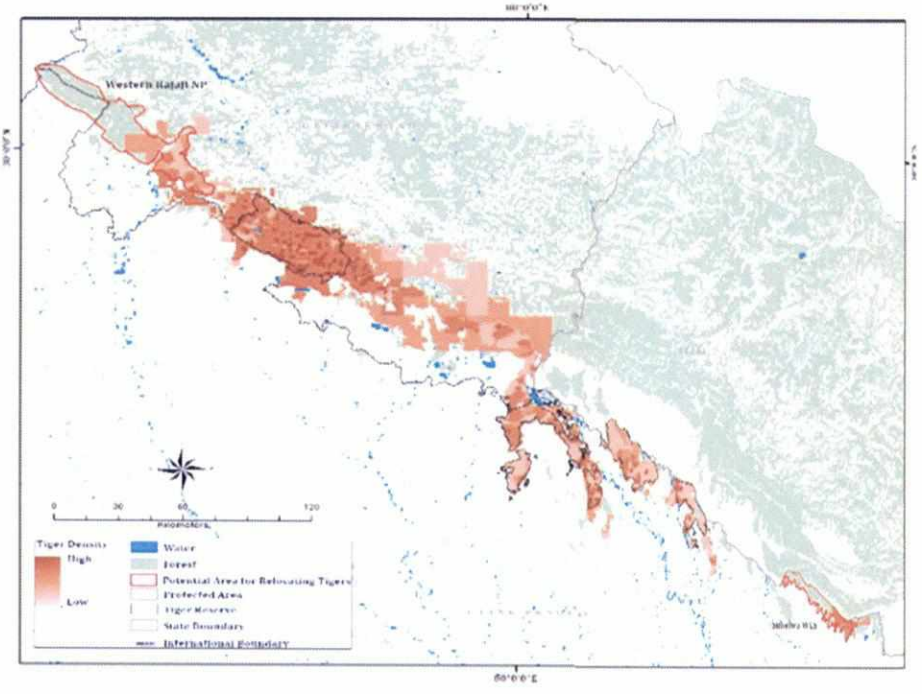

इस भू–दृश्य (Landscape) में स्त्रोत बाघ आबादी (Source Tiger Population) का अधिक घनत्व है – जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एवं अन्य मूल आबादी दुधुवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर अभयारण्य कतरनियाघाट अभयारण्य एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व।

गंगा के पूर्वी क्षेत्रों से नेपाल तक बाघ उपस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसमें पूर्व एवं पश्चिम धोलखण्ड रेंज, कांसराव, हरिद्वार, मोतीचूर, रामगढ़ एवं चिल्लावल्ली क्षेत्र में कम घनत्व के बाघ आवास है जिनमें बाघ हेतु पर्याप्त शिकार उपलब्ध है जो कि अतिरिक्त बाघों हेतु उपलब्ध होंगे। यदि उपरोक्त क्षेत्रों में बाघों का पुनर्स्थापन किया जाता है तो बाघ प्रजनन करेंगे तथा भविष्य में उत्तर प्रदेश के शिवालिक वनमंडल एवं हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान तक फैल जायेंगें। इसका दूसरा विकल्प सुहेलवा अभयारण्य है जिसनें आवास पुर्नउद्धार (restoration) एवं शिकार प्रजातियां की संख्या बढ़ाना होगा तथा सुरक्षा उपाय सुदृढ़ करना होगा ताकि इस क्षेत्र में बाघ पुनर्स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके।

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व की निरंतरता एवं जुड़ाव, नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान तक है। जो बाघ, क्षेत्र से बाहर विचरण करते भू–दृश्य (Landscape) से बाहर जा रहे हैं उन्हें वापिस वाल्मिकी टाइगर रिजर्व में लाना होगा क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और बाघ नेपाल क्षेत्र की ओर विचरण करते हुये जाते हैं।

चितवन राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग तथा परसा वन्यप्राणी रिजर्व में बाघ का घनत्व कम है तथा यह क्षेत्र वाल्मिकी टाइगर रिजर्व से विचरण करते हुये बाघों का समावेश कर सकता है।

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के बाघों को सोहागीबारवा अभयारण्य में पुनर्स्थापित किया जा सकते हैं यदि अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त हो।

2. <u>सेन्ट्रल इंडियन भू–दृश्य (Landscape)</u> –

2.1 सी.–I, समूह–I : सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, कैलादेवी अभयारण्य, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, पालपुर कूनो अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान सेन्ट्रल इंडिया के उत्तर पश्चिम समूह में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान एक मात्र क्षेत्र है जिसमें अत्याधिक घनत्व की आधारमूल बाघ आबादी है। यह क्षेत्र कम बाघ आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कैलादेवी अभयारण्य, पालपुर कूनो अभयारण्य, तथा मुकुन्दरा अभयारण्य से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कम आबादी घनत्व के क्षेत्र रणथम्भौर से बाहर विचरण करने वाले बाघों की पुनर्स्थापना हेतु उपयुक्त

क्षेत्र हैं। यदि इन क्षेत्रों में बाघों का पुनर्स्थापन किया जाता है तो इस भू–दृश्य (Landscape) में एक स्वस्थ वृहद बाघ आबादी (Metapopulation) स्थापित करने में सहायक होगी।

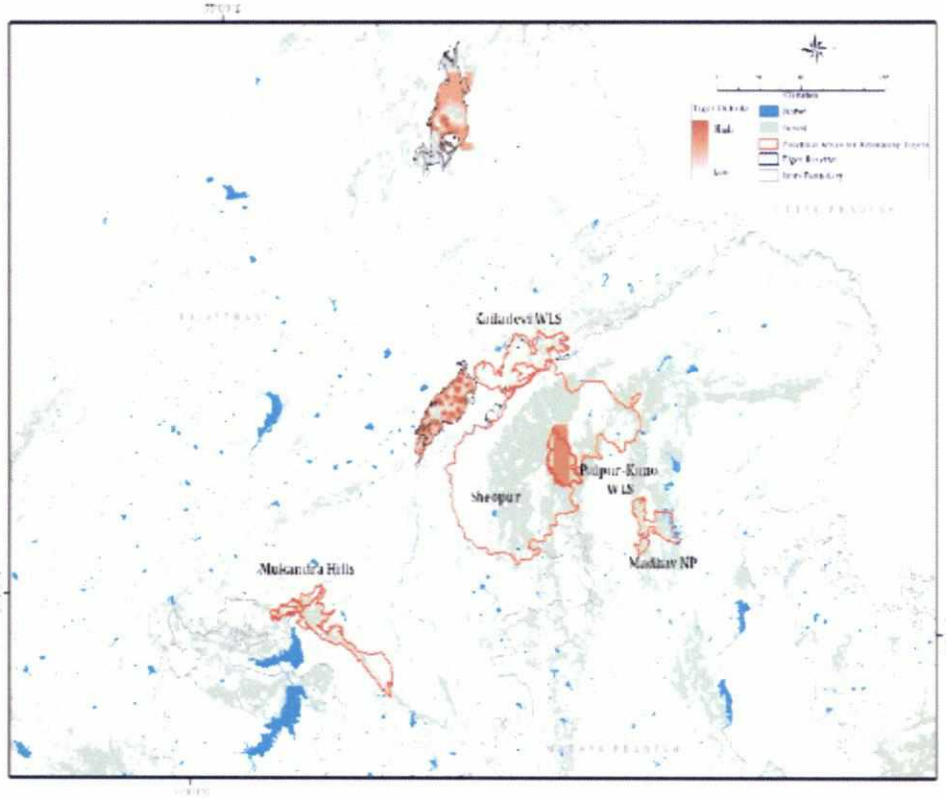

2.2 **सी.–I, समूह–II** : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ताडोबा–अंधेरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव–नागझिरा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, उदन्ति–सीतानदी टाइगर रिजर्व, पालामऊ टाइगर रिजर्व, नौरादेही अभयारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व।

इस समूह में अत्याधिक बाघ घनत्व वाले अनेक स्त्रोत क्षेत्र हैं, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, परन्तु इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरीडोर बहुत ही कमजोर है। इन क्षेत्रों की बाघ आबादी बिखरकर कम घनत्व के क्षेत्रों जैसे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदन्ती–सीतानदी टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व,

पालामऊ टाइगर रिजर्व, एवं नौरादेही अभयारण्य में जा सकती है, परन्तु इन क्षेत्रों में शिकार प्रजातियों की पुनर्स्थापना तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वे स्थल जहां पर सेन्ट्रल इंडिया के बाघ समूह को स्थापित किया जा सकता है वे निम्न है – खण्डवा क्षेत्र के वन, देवास, हरदा, बैतूल एवं बुरहानपुर वन क्षेत्र।

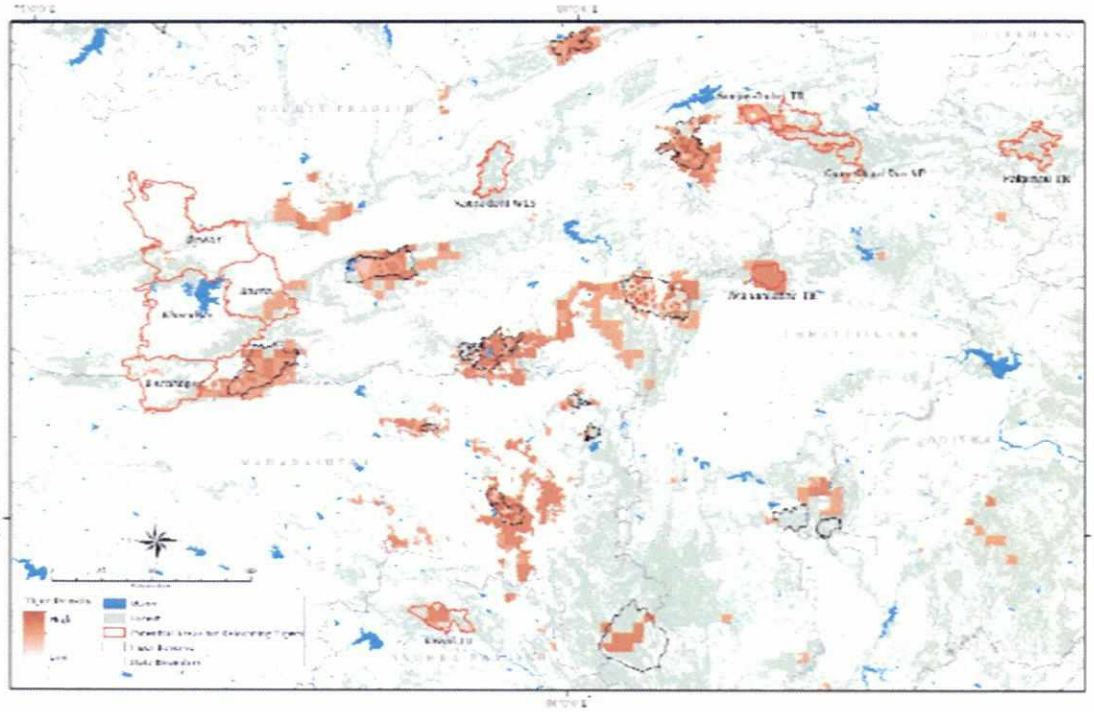

2.3 सी.जी. समूह–III : सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व एवं सतकोसिया टाइगर रिजर्व

सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एवं सतकोसिया टाइगर रिजर्व एक विशेष वंशावली है जिसमें मेलानिस्टिक Melanistic बाघ भी पैदा होते हैं, जो इस बिन्दु की पुष्टि करते हैं कि इस भू–दृश्य (Landscape) बाघों की अनुवांशिक संरचना विशिष्ट है। इस विशेष वंशावली (gene pool) को अक्षुण बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में बाघों को अन्य क्षेत्रों से लाकर इस समूह के क्षेत्रों में पुनर्स्थापित न किया जाये। इन क्षेत्रों में विस्तृत एवं उपयुक्त बाघ रहवास उपलब्ध है जिनमें बाघ घनत्व बहुत कम है। इन क्षेत्रों से बाहर विचरण करने वाले बाघों को सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व एवं सतकोसिया टाइगर रिजर्व में ही वापस छोड़ा जाना आवश्यक है। शिकार प्रजातियां, आवास तथा सुरक्षा उपाय का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है साथ ही बाघों के बाहर विचरण पर भी निगरानी रखना आवश्यक है।

इस समूह में बाघ प्रजनन कार्यक्रम को प्रारंभ करना उचित होगा, क्योंकि इस समूह में बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, जिससे यह विशेष अनुवांशिक विशेषता समाप्ति के कगार पर जा सकती है।

2.4 ई.जी समूह–I : नागार्जुन सागर–श्री सेलम टाइगर रिजर्व, गुण्डला ब्रम्हेश्वरम अभयारण्य

इस समूह में बाघों की एक मात्र स्त्रोत आबादी नागार्जुनसागर–श्री सेलम टाइगर रिजर्व तथा गुण्डला ब्रम्हेश्वरम अभयारण्य में है। इनके अतिरिक्त बहुत से संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें बाघों के लिये उचित रहवास स्थल तथा पर्याप्त शाकाहारी भक्ष्य प्रजातियां पाई जाती है परन्तु वहां बाघ नहीं हैं – जैसे श्री लंकामल्लेश्वरा अभयारण्य, श्री पेनीसुला नरसिम्हा अभयारण्य तथा श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यानों में अभी कोई भी बाघ आबादी नहीं है।

श्री सेलम वनों से सिद्धावतम एवं श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान वन गलियारे से जुड़े हुये हैं। श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के पुनर्स्थापन से बाघों की उपस्थिति वाले क्षेत्र बढ़ेंगे तथा नये स्त्रोत आबादी की स्थापना होगी। इन क्षेत्रों से बाघ विचरण कर के सिद्धावतम, कुरनूल, प्रकाशम एवं कुडप्पा वनों में पहुंचने पर अपना घर बनायेंगे। इन क्षेत्रों में उपयुक्त शाकाहारी भक्ष्य प्रजातियों तथा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना तथा प्रे–बेस की उपस्थिति का अध्ययन होना आवश्यक है।

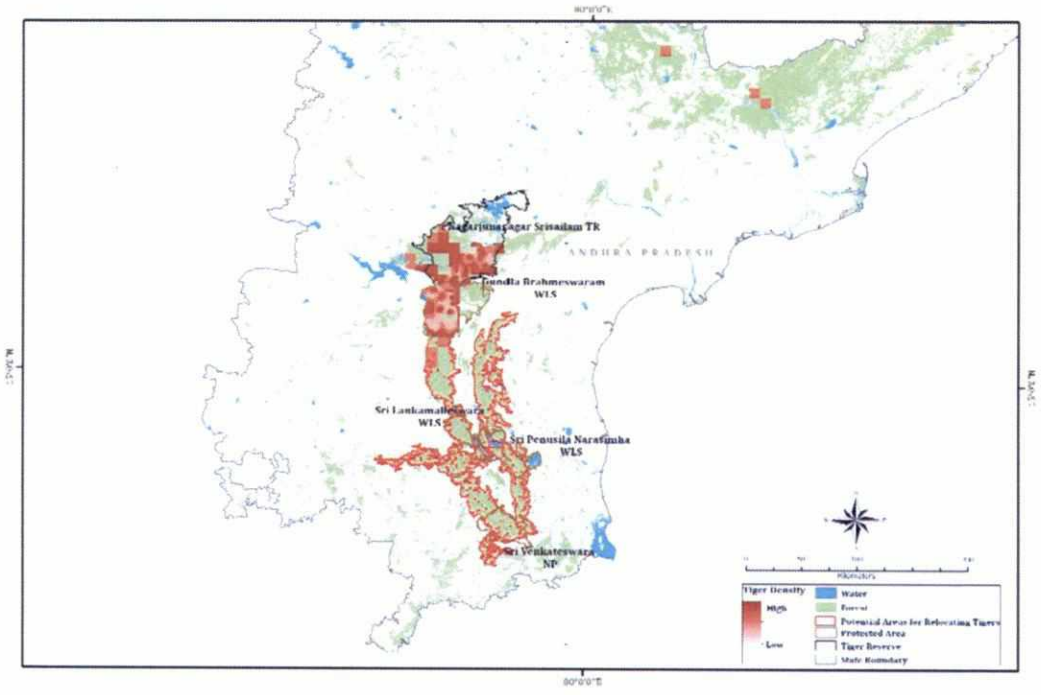

3. पश्चिमी घाट सम्पूर्ण भू–दृश्य (Landscape)

3.1 **डब्ल्यू. जी. समूह–I** : सहयाद्री टाइगर रिजर्व, गोवा के संरक्षित क्षेत्र (म्हादेई अभयारण्य, भगवान महावीर (मौल्लेम) राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावली अभयारण्य, कोटीगांव अभयारण्य) डांडेली–अंशी टाइगर रिजर्व, भाद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोले टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व (बी.आर.टी.टी.आर.), सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व एवं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व।

पश्चिमी घाट भू–दृश्य (Landscape) में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोले टाइगर रिजर्व, बी.आर.टी टाइगर रिजर्व जैसे बाघों की कई घनी स्त्रोत आबादी उपलब्ध है। इन क्षेत्रों से बाघ आबादी भविष्य में बाहर फैलेगी। यदि बाहर फैलने वाली यह बाघ आबादी मध्य में स्थित कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्र जैसे भाद्रा टाइगर रिजर्व एवं डाण्डेली–अंशी टाइगर रिजर्व से होकर अन्य कम घनत्व वाले, सहयाद्री एवं गोवा के संरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो इससे एक लगातार जुड़ाव वाले अच्छे बाघ रहवास क्षेत्रों में बाघ का लंबे समय तक संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद भाद्रा टाइगर रिजर्व, डण्डेली–अंशी टाइगर रिजर्व, गोवा के संरक्षित क्षेत्र एवं सहयाद्री टाइगर रिजर्व मिलकर बाघों के संरक्षण के लिये एक जीवंत विकल्प (Viable option) बना सकेंगे जो कि इस समूह से विचरण करने वाले बाघों को समायोजित कर सकेंगे।

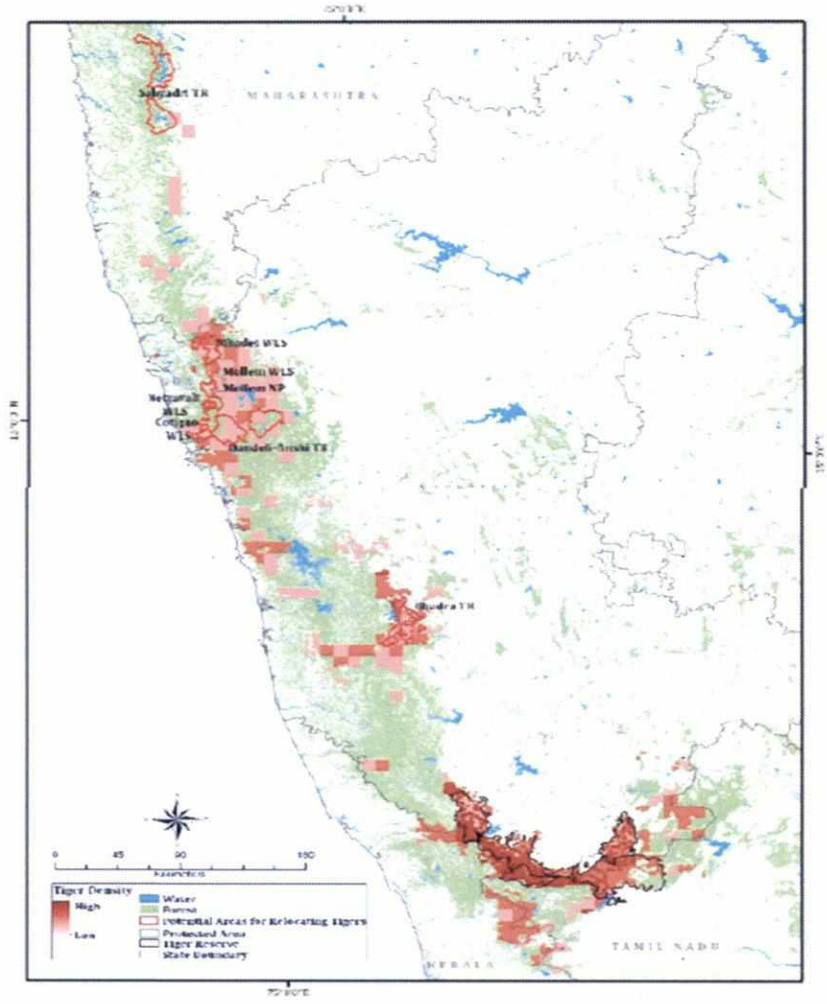

3.2 **डब्ल्यू. जी. समूह–II** : पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, कालाकड–मुण्डनथुरई टाइगर रिजर्व (के.एम.टी.आर.)

पश्चिमी घाट के इस सम्पूर्ण समूह भू–दृश्य (Landscape) में वर्तमान में कम बाघ घनत्व के क्षेत्र हैं तथा इस समूह से बाहर बाघ विचरण की स्थिति में उन बाघों को वापस उनके मूल क्षेत्र में ही पहुंचाना होगा। इन बाघों का मानव आबादी वाले क्षेत्रों में विचरण किये जाने के कारणों का अध्ययन आवश्यक है।

4. उत्तर–पूर्व पर्वत तथा ब्रम्हपुत्र के बाढ़ वाले समतल क्षेत्र –

4.1 **उत्तर पूर्व समूह–I** : काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मनास टाइगर रिजर्व, औरांग राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व, दम्पा टाइगर रिजर्व, करबी अग्लोंग हिल्स, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं जलदापारा अभयारण्य, इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान।

इस स्त्रोत बाघ आबादी (Source populations) क्लस्टर में, जहां से बाघ बाहर निकल कर क्लस्टर में विचरण कर सकते हैं, वे क्षेत्र काजीरंगा एवं अग्लोंग हिल्स टाइगर रिजर्व है। ऐसे अतिशेष बाघों को मनास टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, दम्पा टाइगर रिजर्व एवं करबी एंगलांग हिल्स में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में पुनर्स्थापित बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अति आवश्यक है।

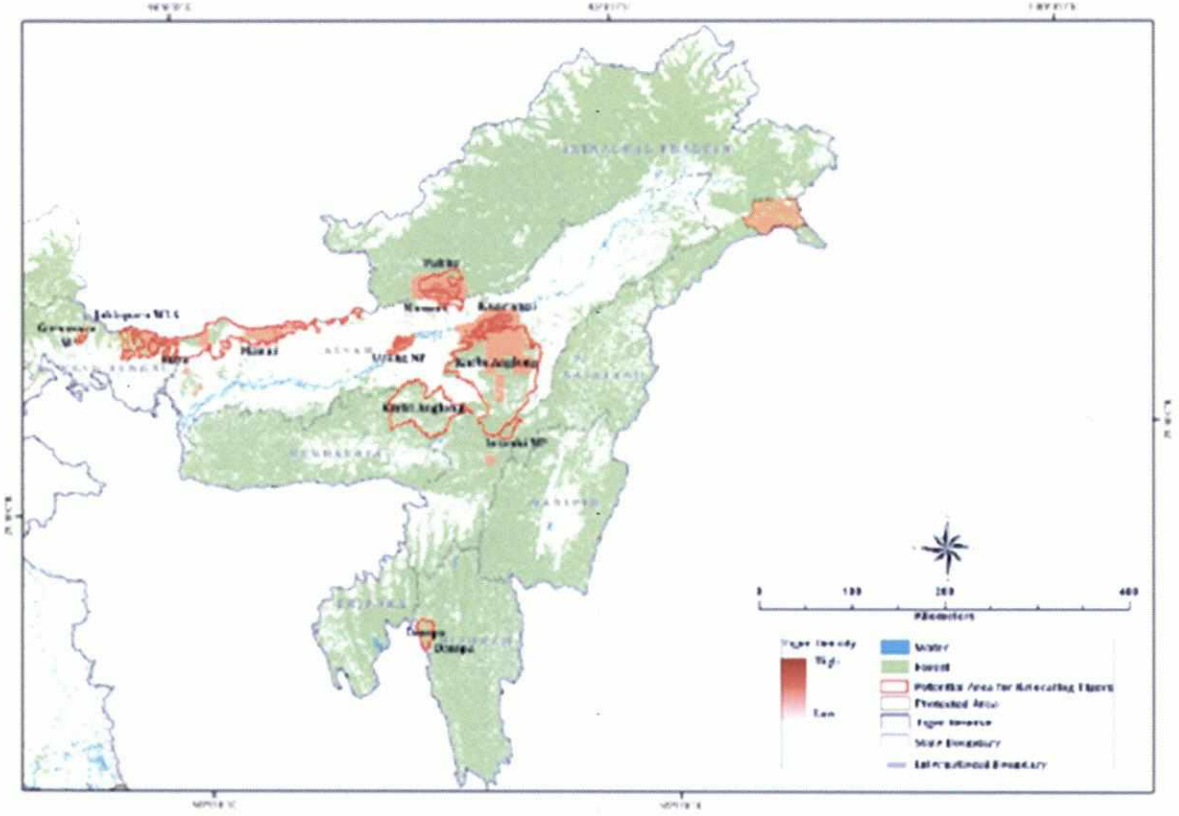

4.2 **उत्तर पूर्व समूह–II** : पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित नमदाफा टाइगर रिजर्व एवं दिबांग अभयारण्य, समूह बाघ आबादी में मयानमार क्षेत्र के बाघों से अनुवांशिक समानताएं/संबंध होने की पूरी संभावना है। इस समूह के बाघों को इसी समूह में रखना चाहिये। चूंकि क्षेत्र में बाघ घनत्व कम है, अतः अन्तर्विरोध तथा प्रजाति अंतर्गत अन्तर्विरोध (conspecific conflicts) की संभावनाएं हो सकती है।

5. <u>सुन्दरबन भू–दृश्य (Landscape)</u> –

सुन्दरबन भू–दृश्य (Landscape) के बाघों का बाह्य स्वरूप (Phenotype) विशिष्ट है जो कि मैनग्रोव वनों के अनुकूल है। इस क्षेत्र से बाहर विचरण करने वाले (dispersing) बाघों को वापस इसी क्षेत्र में वापस भेजा जाना या चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। सुन्दरबन क्षेत्र के बाहर के बाघों को

सुन्दरबन में स्थापित करना या सुन्दरबन के बाघो के समूह से बाहर के क्षेत्रों में स्थापित नहीं करना चाहिये।

वर्ष 2014 मं बाघ पूर्ण किये गये बाघ संख्या अनुमान के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सुन्दरबन बायोस्फियर क्षेत्र में बाघों का घनत्व कम है। निम्न नक्शा वन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे सकता है कि पकड़े गये बाघों को किस क्षेत्र में वापस छोड़ा जा सकता है।

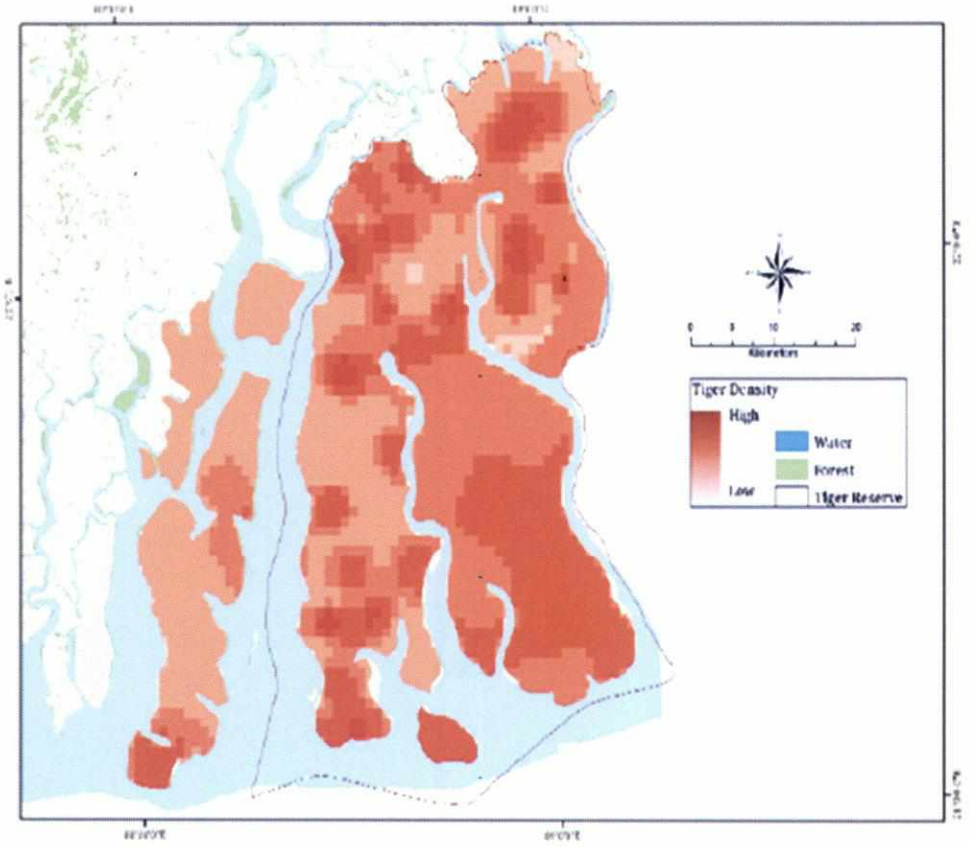

ऐसे बाघ जिनसे दुर्घटनावश लोग मारे गये हो एवंएक मानवभक्षी बाघ को पृथक–पृथक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। मानवभक्षी बाघ को तुरन्त ही रहवास क्षेत्र से निकाल देना चाहिये, तथा ऐसे बाघ को मुक्त रूप से पुनर्स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। जबकि अन्य बाघ जो कि दुर्घटनावश अंतर्विरोध में आ गये हो उन्हें पकड़कर खाली या कम घनत्व वाले क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्स्थापना के समय बाघों को सेटेलाइट टेलीमेट्री कॉलर पहनाया जाना चाहिये, ताकि बाघ का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके। अनुश्रवण में यदि ऐसे बाघ पुनः अंतर्विरोध या समस्याग्रस्त बाघ साबित हो तो ऐसे बाघों को पुनः पकड़कर उन्हें बंदी अवस्था में रखा जाना चाहिये या उसे समाप्त कर देना चाहिये।

नये क्षेत्रों में बाघों को छोड़ने में साफ्ट रिलीज (रहवास क्षेत्र में निर्मित इनक्लोजर में) किये जाने को प्राथमिकता दी जाना चाहिये। मुक्त रूप से खुले में छोड़ने (Hard Release) का निर्णय तभी करना चाहिये, जब संसाधन या स्थानीय परिस्थितियां साफ्ट रिलिज के लिये उचित न हो। छोड़ने वाले स्थान पर आवास, शिकार घनत्व तथा सुरक्षा उपाय होना आवश्यक है।

छोड़े जाने वाले क्षेत्र में मानव आबादी कम होना चाहिये तथा सामाजिक दृष्टि से क्षेत्र के रहवासी बड़े मांसाहारी वन्यजीवों के साथ रहने के आदि हो।

नोट :

1. बाघों की पहचान करने की प्रक्रिया, दवाईयों की मात्रा/परिवहन मार्गदर्शी सिद्धांत एन.टी.सी.ए./प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा जारी मानक प्रक्रिया विधि (SOPs) के अनुसार की जाना चाहिये।

2. मैदानी सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन तथा प्रे–बेस की प्रचुरता/उपलब्धता का आंकलन, बाघों के पुनर्वास के पूर्व कर लेना चाहिये।

3. सावधानी के रूप में साफ्ट रिलिज को प्राथमिकता दी जाना चाहिये तथा इसके लिये क्षेत्र के अंदर (In-situ) बाड़े का निर्माण एवं उनमें नैसर्गिक प्रे–बेस की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिये।

4. पुनर्स्थापित बाघों को निश्चित तौर पर रेडियो कॉलर करना चाहिये ताकि बाघ का सतत् अनुश्रवण लगातार किया जा सके।

परिदृश्य (**Landscape**) स्तर पर आधार क्षेत्र से बाघ पुनर्स्थापना के सक्रिय प्रबंधन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

1. **शीर्षक** :– परिदृश्य (Landscape) स्तर पर आधार क्षेत्र से बाघ पुनर्स्थापना के सक्रिय प्रबंधन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

2. **विषय** :– लेण्ड स्केप स्तर पर आधार/मूल क्षेत्र के बाघ पुनर्स्थपना का सक्रिय प्रबंधन।

3. **संदर्भ** :– एन.टी.सी.ए./प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा मानव वर्चस्व भू दृश्यों (human dominsted landscapes) में भटके (Straying) हुये बाघों के संबंध में दी गई सलाह एवं संबंधित पत्राचार।

4. **प्रयोजन** :– बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाघों का विभिन्न वन क्षेत्रों में छितराव या टाइगर द्वारा नई टेरीटरी बनाने के कारण बाघ मानव वर्चस्व क्षेत्र में पहुंचते हैं, जिससे मानव–बाघ परस्पर विरोध होता है। तुरन्त, प्रभावी, समयानुकूल तथा उपयुक्त उपाय से ही उक्त अंर्तविरोध को कम किया जा सकता है। ऐसे में उन बाघों को पकड़ने (capture) की आवश्यकता होती है जो मानव वर्चस्व क्षेत्र में आ जाते हैं या विरोध में सक्रियता दिखाते हैं। उक्त बाघ यदि आदमखोर नहीं है तो ऐसे बाघों को वापिस उनके आवास में छोड़े जाने की संभावना होती है। बाघों को पकड़ना एवं उन्हें वापिस उनके मूल स्त्रोत क्षेत्र में छोड़ना ही हर समय समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि मूल क्षेत्र में बाघों के अधिक घनत्व के कारण ही बाघ मूलक्षेत्र में बाहर की ओर विद्यटित हो रहे हैं। यहां यह महत्वपूर्ण कि ऐसी स्थिति में ऐसे बाघों को अधिक घनत्व क्षेत्र से कम घनत्व क्षेत्रों (या जहां बाघ पूर्व में थे परन्तु वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं) में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये, ऐसे स्थानों पर अच्छा आवास तथा आहार उपलब्ध हो। पुनर्स्थापना में यह सतर्कता आवश्यक है कि सुनिश्चित करें कि उक्त पुनर्स्थापना ऐसे क्षेत्र में हो जो कि एक ही आबादी समूल गुच्छ (Population Cluster) में जो कि एक समान वंशावली (common gene pool) में हो। वर्तमान वंशावली ज्ञान (Genetic knowledge) तथा विद्यमान गलियारों (corridor) के आधार पर ऐसी बाघ आबादी गुच्छ (population cluster) की पहचान प्रत्येक लेण्ड स्केप पर करनी होगी जहां से अधिशेष (surplus) बाघ आबादी को उपयुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापन किया जा सके।

5. **संक्षिप्त सारांश** :– सारगर्भित सक्रिय प्रबंधन करने हेतु लेण्ड स्केप स्तर पर मूल क्षेत्रों से बाघों की पुनर्स्थापना हेतु मौलिक मापदण्डो को मानक परिचालन प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

6. **कार्यक्षेत्र** :– मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) समस्त बाघ परिदृश्य (Tiger Landscape)/टाइगर रिजर्व तथा बाघ उपस्थित वाले वन क्षेत्रों में लागू होगा।

7. **उत्तरदायित्व** :– मानक परिचालन प्रक्रिया लागू करने का उत्तरदायित्व टाइगर रिजर्व क्षेत्रों हेतु क्षेत्र संचालक का होगा तथा संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य) हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी का होगा। अन्य क्षेत्र जैसे राजस्व क्षेत्र/कंजर्वेशन रिजर्व/कम्युनिटी रिजर्व/ग्राम/आबादी/शहरी क्षेत्र में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार उस क्षेत्र के वन्यप्राणी अभिरक्षक या वनमंडलाधिकारी/उप वन संरक्षक (जिनके क्षेत्राधिकार में क्षेत्र हो) का उत्तरदायित्व होगा कि मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का पूर्ण रूप से पालन हो। पूर्ण प्रदेश हेतु समग्र उत्तरदायित्व संबंधित राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का होगा।

9. **प्रस्तावित कार्यवाही** :– मूल क्षेत्र से बाघ के विस्थापन हेतु सक्रिय प्रबंधन हेतु प्रस्तावित कार्यवाहीयां।

1. शिवालिक हिल्स एवं गंगाटिक लेन लेण्ड स्केप –

इस लेण्ड स्केप मं मूल बाघ आबादी (Source Tiger Population) का अधिक घनत्व है जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एवं अन्य मूल आबादी दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर अभयारण्य कंतरनियाघाट अभयारण्य एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व।

गंगा के पूर्वी क्षेत्रों से नेपात तक बाघ उपस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसमें पूर्व एवं पश्चिम घोलखण्ड रेंज, कंसराव, हरिद्वार, मोतीचूर, रामगढ़ एवं चिल्लावल्ली क्षेत्र में कम घनत्व के बाघ आवास है जिनमें बाघ हेतु पर्याप्त शिकार उपलब्ध है जो कि अतिरिक्त बाघों हेतु उपलब्ध होंगे। यदि उपरोक्त क्षेत्रों में बाघों का पुनर्स्थापन किया जाता है तो बाघ प्रजनन करेंगे तथा भविष्य में उत्तर प्रदेश के शिवलिक वनमंडल एवं हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान तक फैल जावेंगे। इसका दूसरा विकल्प सुहेलवा अभयारण्य है जिसनें आवास पुर्नउद्धार (restoration) एवं शिकार प्रजातियां बढ़ाना तथा सुरक्षा उपाय बढ़ाना होगा ताकि इस क्षेत्र में बाघ पुनर्स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके।

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व की निरंतरता एवं जुड़ाव, नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान तक है। जो बाघ, क्षेत्र से बाहर विचरण करते परिदृश्य से बाहर जा रहे हैं उन्हें वापिस वाल्मिकी टाइगर रिजर्व में लाना होगा क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और बाघ नेपाल क्षेत्र की ओर विचरण करते हुये जाते हैं।

चितवन राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग तथा परसा वन्यप्राणी रिजर्व में बाघ का घनत्व कम है तथा यह क्षेत्र वाल्मिकी टाइगर रिजर्व से विचरण करते हुये बाघों का समावेश कर सकता है।

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के बाघों को सोहागीबारवा अभयारण्य में पुनर्स्थापित किया जा सकते हैं यदि अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त हो।

2. <u>सेन्ट्रल इंडियन परिदृश्य (Landscape)</u> –

2.1 सी.–I, समूह–I : सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, कैलादेवी अभयारण्य, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, पालपुर कूनो अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान सेन्ट्रल इंडिया के उत्तर पश्चिम समूह में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान एक मात्र क्षेत्र है जिसमें अत्याधिक घनत्व की आधारमूल बाघ आबादी है। यह क्षेत्र कम बाघ आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कैलादेवी अभयारण्य, पालपुर कूनो अभयारण्य, तथा मुकुन्दरा अभयारण्य से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कम आबादी घनत्व के क्षेत्र रणथम्भौर से बाहर हुये तथा गायब हुये बाघों हेतु अच्छे संभावित क्षेत्र है। यदि इन क्षेत्रों में बाघों का पुनर्स्थापन किया जाता है तो इस परिदृश्य (Landscape) को दृढ़तापूर्वक एक स्वस्थ्य वृहद बाघ आबादी बनाया जा सकता है।

2.1 सी.–I, समूह–II : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ताडोबा–अंधेरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव–नागझिरा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, उदन्ति सीतानदी टाइगर रिजर्व, पालामऊ टाइगर रिजर्व, नौरादेही अभयारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व।

इस समूह में अनेक अत्याधिक बाघ घनत्व की मूल बाघ आबादी है, जेसे कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व एवं

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, परन्तु इन क्षेत्रों के आपस की संयोजन जुड़ाव (connectivity) बहुत ही कमजोर है। इन क्षेत्रों की बाघ आबादी बिखरकर कम घनत्व के क्षेत्रों जैसे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदन्ती–सीतानदी टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, पालामऊ टाइगर रिजर्व, एवं नौरादेही अभयारण्य में जा सकती है, परन्तु इन क्षेत्रों में शिकार प्रजातियों का पुर्नः स्थापन तथा सुरक्षा उपाय को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वे स्थल जहां पर सेन्ट्रल इंडिया के बाघ समूह को स्थापित किया जा सकता है वे निम्न है, खण्डवा क्षेत्र के वन देवास, हरदा, बैतूल एवं बुरहानपुर वन क्षेत्र।

2.3 सी.जी. समूह–III : सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एवं सटकोसिया टाइगर रिजर्व

सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एवं सटकोसिया टाइगर रिजर्व एक विशेष वंशावली है जिसमें रंग गहरा (Melanistic) होता है, इंगित करते है कि इस परिदृश्य (Landscape) की यह विशेषता है। इस विशेष वंशावली (gene pool) को अक्षुण बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र से बाघों के पुनर्स्थापन नहीं करना होगा, अर्थात सेन्ट्रल इंडिया के दूसरे क्षेत्रों के बाघ मूल स्त्रोत (base source) को इस क्षेत्र समूह में पुनर्स्थापन नहीं करना होगा। इन क्षेत्रों में विस्तृत उपयुक्त बाघ आवास उपलब्ध है जिनमें बाघ घनत्व बहुत कम है। इन क्षेत्रों से बाहर विचरण कर जाने (dispersing) वाले बाघों को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एवं सिटकोसिया टाइगर रिजर्व में वापस छोड़ा जाना आवश्यक है। शिकार प्रजातियां, आवास तथा सुरक्षा उपाय का उन्नयन आवश्यक है साथ ही बाघों के बाहर विचरण पर भी निगरानी रखना आवश्यक है।

इस समूह में बाघ प्रजनन कार्यक्रम को प्रारंभ करना उचित होगा, क्योंकि इस समूह में बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, जिससे यह विशेष अनुवांशिक विशेषता समाप्ति के कगार पर जा सकती है।

2.4 ई.जी समूह–I : नागार्जुन सागर–श्री सेलम टाइगर रिजर्व, गुण्डला ब्रम्हेश्वरम अभयारण्य

इस समूह की मूल बाघ आबादी नागार्जुनसागर–श्री सेलम टाइगर रिजर्व तथा गुण्डला ब्रम्हेश्वरम अभयारण्य में है। इनके अतिरिक्त बहुत से संरक्षित क्षेत्र है जिनमें उचित आवास तथा पर्याप्त शिकार प्रजातियां पाई जाती है। जैसे श्री लंकामल्लेश्वरा अभयारण्य, श्री पेनीसुला नरसिम्हा अभयारण्य तथा श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यानों में अभी कोई भी बाघ आबादी नहीं है।

श्री सेलम वनों से सिद्धावतम एवं श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान वन गलियारे से जुड़े हुये हैं। श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के पुनर्स्थापन से बाघों की उपस्थिति क्षेत्र बढ़ेगा तथा नई मूल बाघ आबादी की स्थापना होगी। इन क्षेत्रों से बाघ विचरण करके अगले क्षेत्रों सिद्धावतम, कुरनूल, प्रकाशम एवं कुडप्पा वनों में अपना घर बनायेंगे। इन क्षेत्रों में मुख्य समस्या यह है कि इन क्षेत्रों में उपयुक्त बाघ शिकार प्रजातियों तथा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की परख तथा अध्ययन होना आवश्यक है।

3. पश्चिमी घाट सम्पूर्ण परिदृश्य

3.1 **डब्ल्यू. जी. समूह–I** : सहयाद्री टाइगर रिजर्व, गोवा के संरक्षित क्षेत्र (म्हादेई अभयारण्य, भगवान महावीर (मौल्लेम) राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावली अभयारण्य, कोटीगांव अभयारण्य) डांडेली–अंशी टाइगर रिजर्व, भाद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोले टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व (बी.आर.टी.टी.आर.), सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व एवं मुण्डुमलाई टाइगर रिजर्व।

पश्चिमी घाट परिदृश्य (Landscape) में बहुत से अधिक घनत्व मूल बाघ आबादी क्षेत्र जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोले टाइगर रिजर्व, बी.आर. टाइगर रिजर्व है। इन क्षेत्रों की बाघ आबादी भविष्य में क्षेत्रों से बाहर फैलेगी। बाहर फैलने वाली यह बाघ आबादी मध्यावर्त होकर कम घनत्व के क्षेत्रों भाद्रा टाइगर रिजर्व एवं डाण्डेली–अंशी टाइगर रिजर्व से होकर अन्य कम घनत्व क्षेत्र सहयाद्री एवं गोवा के संरक्षित खेत्र जो की अच्छे आवास परन्तु कम बाघ घनत्व क्षेत्र है, में पहुंचेंगे।

इससे एक लगातार जुड़ाव वाले अच्दे बाघ आवास से बाघ का लंबे समय तक संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद भाद्रा टाइगर रिजर्व, डण्डेली अंशी टाइगर रिजर्व गोवा के संरक्षित क्षेत्र एवं सहयाद्री टाइगर रिजर्व मिलकर एक

जीवनक्षम विकल्प (Viable option) बना सकेंगे जो कि इस समूह के विरण/छितराव (Dispersing) वाले बाघों को समायोजित कर सकेंगे।

3.1 **डब्ल्यू. जी. समूह–I** : पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पैरियर टाइगर रिजर्व, कालाकड–मुण्डानथुराई टाइगर रिजर्व (के.एम.टी.आर.)

पश्चिमी घाट के इस सम्पूर्ण सम्पूर्ण समूह परिदृश्य में कम बाघ घनत्व के क्षेत्र है तथा इस समूह से बाहर बाघ विरण/छितराव की स्थिति में उन बाघों को वापस उनके मूल क्षेत्र में ही पहुंचाना होगा। इन बाघों का मानव प्रभावी क्षेत्र में विचरण करना या छितरना के कारणों का अध्ययन आवश्यक है।

4. <u>उत्तर–पूर्व पर्वत तथा ब्रम्हपुत्र के बाढ़ वाले समतल क्षेत्र –</u>

4.1 **उत्तर पूर्व समूह–I** : काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मनास टाइगर रिजर्व, औरांग राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व, डम्पा टाइगर रिजर्व, करबी अग्लोंग हिल्स, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं जलदापारा अभयारण्य, इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान।

इस मूल बाघ आबादी (Source population) जिससे छितराव हो रहे बाघों को उन्हीं समूह के अंदर वापस पुनः स्थापित किया जात सकता है। इस समूह में काजीरंगा एवं औरांग टाइगर रिजर्व के अतिशेष (surplus) बाघों को मनास टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, डम्बा टाइगर रिजर्व एवं करबी एंगलांग हिल्स में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में पुनर्स्थापित बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अति आवश्यक है।

4.1 **उत्तर पूर्व समूह–II** : नमदाफा टाइगर रिजर्व एवं दिबांग अभयारण्य, इस समूह की बाघ आबादी जो कि पूर्वोत्त क्षेत्र की है, में अनुवांशिक समानताएं/संबंध म्यानमांर क्षेत्र से कदाचित हो सकती है। इस समूह के बाघों को इसी समूह में रखना चाहिये। चूंकि क्षेत्र में बाघ घनत्व कम है, अतः अन्तर्विरोध तथा प्रजाति अंतर्गत अन्तर्विरोध (conspecific conflicts) की संभावनाएं हो सकती है।

5. सुन्दरबन परिदृश्य –

सुन्दरबन लेण्डस्केप के बाघों में एक विशेष समलक्षानकूलन (Phenotypically) है जो कि मेंग्रुव वनों के अनुकूल है। इस क्षेत्र से बाहर विस्तारित (dispersing) बाघों को वापस इसी क्षेत्र में वापस करना या चिड़ियाघर में लाया जाना आवश्यक है। सुन्दरबन क्षेत्र के बाहर के बाघों को सुन्दरबन में स्थापित करना या सुन्दरबन के बाघो के समूह से बाहर के क्षेत्रों में स्थापित नहीं करना चाहिये।

वर्तमान वर्ष 2014 मं बाघ अनुश्रवण दर्शाता है कि इस क्षेत्र (सुन्दरबन बायोस्फियर क्षेत्र) में बाघों का घनत्व कम है। निम्न नक्शा वन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे सकता है कि पकड़े गये बाघों को किस क्षेत्र में वापस छोड़ा जा सकता है।

बाघ द्वारा दुर्घटना स्वरूप मारे गये व्यक्तियों एवं एक मानवभक्षी बाघ को अलग–अलग ढ़ंग से उपचारित किया जाना चाहिये। मानवभक्षी बाघ को तुरन्त ही आवास से निकाल देना चाहिये, तथा ऐसे बाघ को पुनर्स्थापित (मुक्त रूप से) नहीं किया जाना चाहिये। जबकि अन्य बाघ जो कि दुर्घटनावश अंतर्विरोध में आ गये हो उन्हें पकड़कर खाली या कम घनत्व वाले क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्स्थापना के समय बाघों को सेटेलाइट टेलीमेट्री कॉलर पहनाने को वरियता देना आवश्यक है ताकि बाघ का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके। अनुश्रवण में यदि ऐसे बाघ पुनः अंतर्विरोध या समस्याग्रस्त बाघ साबित हो तो ऐसे बाघों को पुनःपकड़कर उन्हें बंदी अवस्था में रखा जाना चाहिये या विलोपन करना चाहिये।

नये क्षेत्रों में बाघों को छोड़ने में साफ्ट रिलिज प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है। अंतिम छोड़ने (Hard Release) का निर्णय तभी करना चाहिये, जब संसाधन/क्षेत्र साफ्ट रिलिज के योग्य रहे हो। जबकि छोड़ने वाले स्थान पर आवास, शिकार घनत्व तथा सुरक्षा उपाय होना आवश्यक है।

क्षेत्र में मानव आबादी कम होना चाहिये तथा सामाजिक दृष्टि से क्षेत्र के रहवासी बड़े स्तनपाइयों के साथ रहने के आदि अनुभवी हो।

नोट :

1. बाघों की पहचान हेतु एन.टी.सी.ए./प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा निर्धारित पुर्स्थापना मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दवाईयों की मात्रा/परिवहन मार्गदर्शी सिद्धांत/मानक प्रक्रिया विधि के अनुसार कार्यवाही करना चाहिये।

2. पर्याप्त सुरक्षा पूर्व उपाय कर/मैदानी सुरक्षा व्यवस्था/शिकार प्रजातियों की आबादी पुनर्स्थापन के पूर्व सुनिश्चित करना चाहिये।

3. साफ्ट रिलिज मात्र पूर्वोपाअ/सावधानी पूर्वक करना चाहिये तथा इसके लिये क्षेत्र के अंदर (In-situ) बाड़ा बनाना तथा नैसर्गिक शिकार प्रजाति घनत्व को सुनिश्चित करना चाहिये।

4. पुनर्स्थापित बाघों को निश्चित तौर पर रेडियो कॉलर करना चाहिये ताकि बाघ का अनुश्रवण सुनिश्चित रहे।

बाघ द्वारा पशुओं को शिकार बनाये जाने के सम्बन्ध में मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

1. **शीर्षकः** बाघ द्वारा पशुओं के शिकार किये जाने के सम्बन्ध में मानक परिचालन प्रक्रिया।
2. **विषयः** बाघ द्वारा पशुओं के शिकार बनाये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने बाबत्।
3. **सन्दर्भः** राष्ट्रिय व्याघ संरक्षण प्राधिकरण/बाघ परियोजना द्वारा मानव वर्चस्व क्षेत्रो मे भटके हुए बाघो के आने से उत्पन्न आपात स्थिति हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया।
4. **प्रयोजनः** बाघ आवास मे बाघ द्वारा पशुओं को शिकार/आहार बनाये जाने पर उपयुक्त कार्यवाही सुनिस्चित करना तथा आवास में नेसर्गिक प्रक्रिया मे अनावश्यक व्यवधान दूर करना ताकि बाघ द्वारा सामान्य जन या मैदानी कर्मचारीयों को हमला/हताहत होने से सुरक्षित रखा जा सके।
5. **संक्षिप्त सारांशः** बाघ द्वारा पशुओं को आहार बनाये जाने कि परिस्थिति में आवश्यक मौलिक/आधारिय कार्यवाही तथा मैदानी स्तर पर आवश्यक सावधानियाँ बरतने के सम्बन्ध में मानक परिचालन प्रक्रिया को उपलब्ध कराना।
6. **कार्यक्षेत्र विस्तार (Scope):** मानक परिचालन प्रक्रिया सभी टाईगर रिजर्व एवं अन्य क्षेत्र जहा बाघ की उपस्थिति है।
7. **जवाबदेहीः** टाईगर रिजर्व क्षेत्रो हेतु फिल्ड डायरेक्ट जवाबदार होगे। संरक्षित क्षेत्रो (राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण) हेतु सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी की जवाबदेही होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र (राजस्व भूमि/कंसरवेशन रिजर्व/ कम्यूनिटी रिजर्व/ ग्राम/ शहर) आबादी क्षेत्र में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणी अतिरक्षक या वन मण्डल अधिकारी/उप वन संरक्षक (जिनके कार्य क्षेत्र मे उक्त स्थल पड़ता है) जवाबदार होगे। राज्य स्तर की समग्र जवाबदेही सम्बंधित राज्य के मुख्य वन्य प्राणि अभिरक्षक की होगी।

8. बाघ के द्वारा पशुओं को आहार/शिकार बनाने की वजह/कारण तथा परिस्थितियाँ

A) ग्रामीणों द्वारा अपने पशुओं को वन क्षेत्र में चरने हेतु खुला छोड़ दिया जाना।

B) वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रयोजन के लिये अपने पशुओं को आहार बनने देना।

C) बाघ मूल क्षेत्र (Tiger Source Area) में वहन क्षमता (Carrying Capacity) पूर्ण हो जाने पर बाघ मानव वर्चस्व क्षेत्र में आ जाते है तथा पशुओं को आहार बनाने के लिये विवश होते है।

D) जवान/शक्तिपूर्ण बाघो द्वारा किशोर/युवा बाघ बूढे एवं कमजोर बाघों को सीमाओं जहाँ पर ईष्टतम आवास हो की तरफ धकेलना।

E) मवेशियो के शिकार के अभ्यस्त बाघ जो कि आदर्श भोजन के सिद्धांत के अनुसार आसान भोजन के आदि हो गये है।

F) यदि गलियारा का जुडाव अस्तित्व में है तब बाघ छिटक कर दूसरे क्षेत्र में अपना टेरिटोरी परवर्ती आबादी (Meta population) में ही बनाना है।

9. बाघो द्वारा पशुओं को शिकार/आहार बनाये जाने पर मैदानी कार्यवाही हेतु सुझाव

A) समस्त मारे गये मवेशियों की सूचना तुरन्त सम्बंधित वन प्रबन्धन दस्ते को दी जावेगी, जो एक संवेदनशील अभियान की तरह लगातार कार्यवाही करेगा। सम्बंधित वन प्रबंधन दस्ता मृत पशुओं बाबत् जानकारी/सूचना हेतु गुप्रचारों से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना तंत्र या मुखबिर तंत्र विकसित करेगा।

यह वन दस्ता आस–पास के बाघ उपस्थिति क्षेत्रों में भी सक्रियकृत होकर शिकार/मृत पशुओं की जानकारी की सूचना तुरन्त देगा। एक संरचना का विकास किया जावेगा जो कि प्रेरकों/ग्रामवासियों/मुखबिर/चरवाहों को सूचना देने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

B) मृत पशुओं की निगरानी/निरिक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

i. सम्बंधित ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि

ii. स्थानीय अशासकीय संस्था का प्रतिनिधि जो कि फिल्ड डायरेक्टर/उप वन संरक्षक (जिनके क्षेत्राधिकार में क्षेत्र आता है) द्वारा नामांकित किया जावेगा।

iii. एक पशु चिकित्सक

iv. उप संचालक/संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वन मण्डल अधिकारी/इंचार्ज चेयरमेन

अशासकीय सदस्यों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करने के लिये आवश्यक है कि जिला प्रशासन एवं/या निकटतम टाईगर रिजर्व से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जावे।

C) बाघ या तेन्दुए द्वारा मवेशियो को मारने की स्थिति मे मृत पशु को घटना स्थल से नही हटाना चाहिये तथा उसे पूर्ण रूप से खाने का अवसर देना चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

D) प्रभावित व्यक्ति या घटना स्तर पर क्षतिपूर्ति के तुरन्त भुगतान हेतु एक प्रक्रिया या सिटीजन चार्टर को विकसित करना आवश्यक है, जिसके लिये जिला प्रशासन या निकटतम टाईगर रिजर्व से सहयोग लिया जाना आवश्यक है।

E) यदि पशु मारने का क्षेत्र मानव आवासी के पास नही है तो ऐसी स्थिति में मृत मवेशी की निगरानी/चौकीदारी इस प्रकार से करनी चाहिये कि वह बाघ/तेन्दुए को मृत मवेशी खाने से बाधक नही हो। यहा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्रामीणों द्वारा मृत पशु पर जहर डालने (प्रतिशोधात्मक) से सुरक्षा करना भी आवश्यक हैं। इस प्रयोजन हेतु एक विशेष दल बनाया जाना चाहिये तथा दल बनाने हेतु उपरोक्त समिति से परामर्श प्राप्त करना तथा प्रक्रिया को भी प्रोत्साहात्मक बनाना आवश्यक है।

F) बाघ द्वारा मारे गये पशुओं की प्रथम 24 घण्टे (सूचना प्राप्त होने से) की निगरानी/अवलोकन इसलिये आवश्यक है क्योकि बाघ मारे गये शिकार को पूर्ण रूप से खाने के लिए पुनः शिकार पर आता है। यदि फिर भी बाघ वापिस नही आता है या शिकार को अस्वीकार कर देता है तो मृत मवेशी को जलाकर पूर्णतः नष्ट कर देना आवश्यक है जिससे मानव या अन्य प्राणियों पर संक्रमण या बिमारियों के फैलने का खतरा नही रहता। मृत मवेशी वाले क्षेत्र को भी रसायन/अग्नि ज्वाला से सफाई कर देनी चाहिए ताकि वे बिमारिया भी समाप्त हो जावे जो विषाणु द्वारा फैलती है।

G) वन्यप्राणी (बाघ/तेन्दुआ) की पहचान (ID) सुनिश्चित/स्थापित करने हेतु घटना स्थल/मृत पशु स्थान पर केमरा ट्रेप लगाना।

H) केमरा ट्रेप के फोटोग्राफ्स को तुलनात्मक आधार पर बाघों की पहचान हेतु नेशनल रिपोसीटोरी आफ केमरा ट्रेप फोटोग्राफ आफ टाइगर (NRCTPT स्थान जहां पर केमरा ट्रेप के माध्यम से टाइगर की पहचान की जाती है) या टाइगर रिजर्व स्तर पर उपलब्ध डाटावेस में डालकर बाघ का मूल स्त्रोत क्षेत्र का पता करना चाहिये।

I) क्षेत्र में हाल ही में हुए पशु मारने की घटना/खाने की घटना/जन घायल/मृत्यु होने की घटना की जानकारी प्राप्त करना चाहिये। यदि क्षेत्र में इस तरह की घटना पूर्व में हुई या क्षेत्र में प्रवृत्त हुई है तो विस्तृत शोध करना आवश्यक है जिससे घटनाओं के कारण ज्ञात हो सके तथा निरन्तर होने वाली बाघ आपात स्थिति बाबत ज्ञात हो सके।

J) क्षेत्र में प्रेशर इम्प्रेशन पेड बनाये जाना चाहिये ताकि वन्य प्राणी की दैनिक भ्रमण की स्थिति ज्ञात हो सके। जानकारी को $4^{11} = 1$ मील के नक्शे पर इन्द्राज भी करना चाहिये।

K) मानव आवादियों या आबादी के आस-पास के क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिक्षक को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए तथा भीड को इक्कटा होने से रोकने में

इनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये। उपरोक्त अधिकारियों को मानव–बाघ परस्पर विरोध के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराना चाहिये तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिसमें ऐसी स्थितियों से निपटने के उपाय दिये गये है उनसे अवगत कराना चाहिये। यदि परिस्थितियों की मांग हो तब जिला प्रशासन को सी.आर.पी.सी. की धारा 144 को लगाकर व्यवस्था को सुनिशित करना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि स्थानीय निवासियों को या उत्तेजित स्थानिय व्यक्तियों को ऐसे स्थल को भीड बनाकर घेरने से रोकना आवश्यक है, अन्यथा भीड वन्यप्राणी का रास्ता बन्द कर देगी या वन्यप्राणी को सुगम रूप से पकडने में (यदि पकडना आवश्यक हुआ तो) बाधक होगी जिससे वन्यप्राणी उत्तेजित होकर भीड पर या कर्मचारियों को घायल कर सकता है।

L) जिला प्रसाशन की सहायता लेकर ऐसे क्षेत्रों में बाघ की उपस्थिति की सूचना करवाकर आसपास के ग्रामीण को सर्तक/सचेत किया जाना चाहिये। स्थानीय क्षेत्रों में बाघ की उपस्थिति को मुनादी या जो भी प्रचलित साधन हो से सूचित करना चाहिये कि सामान्य जन इन क्षेत्रों प्रवेश ना करें।

M) यदि बाघ/तेन्दुओं द्वारा किसी अशक्तता/विकलांगता या निशक्तता या असामान्यता प्रदर्शित होती है जो कि किसी चोट के कारण या अधिक उम्र होने के कारण से लगातार पशुओं का शिकार करता है तब मानक परिचालक प्रकिया के तहत वन्यप्राणी को प्राधिकरण के निम्न निर्देशों के तहत निपटाना चाहिये।

   i. भटके हुए बाघों के मानव प्रभावित क्षेत्रों में आने पर आने वाली आकस्मितता से संबंधित परिचालन प्रकिया।

   ii. अनाथ/मां द्वारा छोडे गये बाघ के बच्चे/वृद्ध बाघ/वनों में घायल बाघ से संबंधित मानक परिचालन प्रकिया।